

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, dated: 21-11-2012

NOTIFICATION

The following rules further to amend the Rajasthan Registration (Licensing of Document Writers) Rules, 1956, made by the Inspector General of Registration, Rajasthan in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 69 of the Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) as amended in its application to Rajasthan by the Indian Registration (Rajasthan Amendment) Act, 1953 (Act No. XVIII of 1953) have been approved and hereby published by the State of Rajasthan as required under sub-section (2) of section 69 of the said Act, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Rajasthan Registration (Licensing of Document Writers) (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 5. - The existing sub-rule (1) of rule 5 of the Rajasthan Registration (Licensing of Document Writers) Rules, 1956 shall be substituted by the following, namely :-

"(1) Applications for appearing in written examination from eligible persons as per the provisions of rule 4, may be invited once in every two calendar years or at any time before the expiry of two calendar years with prior approval of the State Government."

[No.F.2(23)FD/Tax/11- 78]

By order of the Governor,

(Aditya Parcek)

Deputy Secretary to Government

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांक: एफ-7(108)जन/11-12/पार्ट-1/1811-18152 दिनांक: 03/12/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान को प्रेषित कर निवेदन हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2011-12 में की गई बजट घोषणा संख्या-312 के तहत राज्य में डीड राईटर्स के 1000 अनुज्ञा-पत्र जारी करने के कम में आपको विभाग द्वारा आवंटित लक्ष्य के अनुरूप शेष रहे अनुज्ञा-पत्रों को जारी करने हेतु परीक्षा का आयोजन करने हेतु उपरोक्त संशोधन के प्रावधानुसार प्रस्ताव अविलम्ब विभाग को भिजावे ताकि उनका अनुमोदन राज्य सरकार से करवाया जा सकें। विभाग द्वारा आपको आवंटित लक्ष्य एवं आप द्वारा अब तक जारी किये गये अनुज्ञा-पत्रों का विवरण संलग्न कर भिजावें।
4. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक-डी, वित्त भवन, जयपुर।
5. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर/समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान को प्रेषित कर लेख हैं कि आप अपने वृत्त में जिला कलक्टर से समन्वय कर शेष रहे डीड राईटर्स के शेष रहे अनुज्ञा-पत्रों को जारी करने हेतु परीक्षा आयोजन के प्रस्ताव विभाग को शीघ्र भिजवाने की कार्यवाही करावें।
6. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय, अजमेर को अधिसूचना की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।

भवदीय

(रिणु जयपाल)

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, dated: 21-11-2012

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of Articles of Association of the Rajasthan State Power Finance Corporation shall be exempted.

[No.F.2(75)FD/Tax/12-79]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Deputy Secretary to Government

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
“कर-भवन”, अजमेर

क्रमांक: एफ-7(40)जन/11-12/पार्ट-II/17201-17650

दिनांक: 30.11.2012

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक-डी, वित्त भवन, जयपुर।
9. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
10. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
11. समस्त उप पंजीयकगण राजस्थान।
12. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त-जयपुर/जोधपुर।
13. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
17. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

भवदीय

(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

GOVERNEMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, dated:21-11-2012

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the non-convertible Bonds of Rs. 550 crore to be issued by Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. on the private placement basis for part funding of capital expenditure under Annual Plan Allocation 2012-13, shall be reduced and charged at the rate of 0.25 percent

[No.F.2(75)FD/Tax/2010-80]

By order of the Governor,

(Aditya Pareek)

Deputy Secretary to Government

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
“कर-भवन”, अजमेर

क्रमांक: एफ-7(40)जन/11-12/पार्ट-II/17661-18110 दिनांक: 03/12/12

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक,राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक-डी, वित्त भवन, जयपुर।
9. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
10. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
11. समस्त उप पंजीयकगण राजस्थान।
12. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त-जयपुर/जोधपुर।
13. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय, अजमेर को अधिसूचना की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
17. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

भवदीय

(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर